International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 10, October 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारतीय समाज में तलाक के बढ़ते मामलों पर एक अध्ययन

डॉ मीनाक्षी मीना
सहायक आचार्य समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय राजगढ़

सार

कुछ साल पहले, तलाक को भारतीय संदर्भ में दुर्लभ सामाजिक घटनाओं में से एक माना जाता था। जैसे–जैसे आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण समाज ने एक नया आकार लेना शुरू किया, पारंपरिक भारतीय जीवन को नियंत्रित करने वाली कठोर सीमाओं को नए दृष्टिकोण के साथ–साथ जीवन शैली से बदलना शुरू हो गया। इसने एक गति दी जब महिलाओं ने रोजगार ग्रहण किया जिससे महिलाओं की स्थिति में बदलाव के कारण लिंग की असंगति बढ़ गई। इसके अलावा, ग्रामीण जीवन शैली से शहर या महानगरों में बदलते जनसांख्यिकीय संदर्भ, विस्तारित परिवार प्रणाली से एकल परिवार में बदलाव, अरेंज्ड मैरिज के विपरीत जीवनसाथी का चयन भारत में बदले हुए परिदृश्य की विशेषताएं हैं। एक आधुनिक समाज में, विवाह का विघटन इस विचार से उत्पन्न होता है कि विवाह को व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि से रखने की अपेक्षा एक स्वतंत्र जीवन जीना बेहतर है।

कुंजीशब्द: *तलाक , महिला*

प्रस्तावना

परिवार को आम तौर पर मनुष्य के सामाजिक जीवन की एक प्रमुख सामाजिक संस्था माना जाता है। परिवार विवाह के माध्यम से दोनों के पवित्र बंधन द्वारा निर्मित समाज की एक इकाई है। हालांकि परिवार की संरचना पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है, लेकिन उन्होंने हमेशा बंधन की पवित्रता और विवाह और परिवार के उद्देश्य को बरकरार रखा है। हालाँकि, परिवार आज अभूतपूर्व परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं और पुरानी और नई दोनों तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ औद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ प्रौद्योगिकी को अक्सर दैनिक जीवन को अधिक जटिल और अवैयक्तिक बनाने के रूप में पहचाना जाता है। लैंगिक भूमिकाएं धुंधली हो गई हैं, पारंपरिक मूल्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और यहां तक कि समाज में अचानक हुए बदलावों के कारण श्परिवारश की पारंपरिक परिभाषाएं आर अवधारणाएं भी बदल गई हैं। हम पिछले दस दशकों में विवाह, व्यक्तिगत विकास और पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करने वाले मूल्य प्रणालियों में लगातार बदलाव देखते हैं। आज समाज में तलाक को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है। जबकि हम जानते हैं कि तलाक एक खुली चर्चा का विषय नहीं था, आज आधुनिक परिवारों में तलाक की अधिक सामाजिक स्वीकृति है। पिछले 40 वर्षों में तलाक की बढ़ती स्वीकृति ने विवाह के साथ–साथ पारिवारिक जीवन पर हमारे दृष्टिकोणों में बड़े बदलाव को प्रभावित

किया है। 1970 के दशक के दौरान, तलाक की दर दोगुनी हो गई क्योंकि युवा लोगों का निष्ठा, शुद्धता और प्रतिबद्धता के प्रति दृष्टिकोण उनके माता–पिता से बहुत अलग हो गया।

भारतीय समाज में बढ़ते तलाक के मामलों का मुद्दा जटिल है और कई तरह के कारकों से प्रभावित है। जबकि भारत में तलाक की दर वास्तव में बढ़ रही है, अंतर्निहित कारणों और सामाजिक गतिशीलता को समझना आवश्यक है। तलाक के मामलों में वृद्धि में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारक यहां दिए गए हैं:

1– बदलते सामाजिक दृष्टिकोण: भारतीय समाज सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के संदर्भ में, विशेषकर विवाह और तलाक क संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है। परंपरागत रूप से, तलाक को अत्यधिक कलंकित और वर्जित माना जाता था। हालाँकि, बढ़ते शहरीकरण, वैश्वीकरण और विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने के साथ, अधिक व्यक्तिवादी मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इस विश्वास की ओर बदलाव आया है कि व्यक्तियों को अपने जीवन साथी को चुनने और अपने विवाह में खुशी की तलाश करने का अधिकार है।

2– महिला सशक्तिकरण और शिक्षा: महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी बढ़ती पहुंच ने तलाक की बढ़ती दरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे दुखी या अपमानजनक विवाह को छोड़ने की अधिक इच्छा पैदा होती है।

3– आर्थिक कारक: आर्थिक कारक भी तलाक में वृद्धि में योगदान करते हैं। जैसे–जैसे अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करती हैं, वे अपने जीवनसाथी पर आर्थिक रूप से कम निर्भर हो सकती हैं और तलाक को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में मानने की अधिक संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, बदलती आर्थिक गतिशीलता और बेहतर जीवन शैली की आकांक्षाओं के कारण विवाहों के भीतर संघर्ष बढ़ सकते हैं।

4– शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव: शहरीकरण ने जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिसमें विविध संस्कृतियों, विचारों और मूल्यों के संपर्क में वृद्धि शामिल है। तेजी से शहरीकरण अक्सर अधिक एकल परिवारों की ओर जाता है, व्यक्तिवाद में वृद्धि होती है, और विस्तारित परिवारों और पारंपरिक समर्थन प्रणालियों के प्रभाव में गिरावट आती है। ये परिवर्तन वैवाहिक गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं और उच्च तलाक दर में योगदान कर सकते हैं।

5– कानूनी सुधार: वर्षों से, भारत ने तलाक की कार्यवाही को सरल और तेज करने के उद्देश्य से कानूनी सुधारों को देखा है, जैसे कि 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम की शुरुआत और बाद में संशोधन। इन कानूनी परिवर्तनों ने तलाक की मांग करने वाले जोड़ों के लिए तलाक को अधिक सुलभ और कम समय लेने वाला बना दिया है।

6– घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार: हाल के वर्षों में घरेलू हिंसा और विवाहों के भीतर दुर्व्यवहार की घटनाओं ने अधिक ध्यान और मान्यता प्राप्त की है। दुर्व्यवहार के शिकार लोगों को मदद और समर्थन प्राप्त करने के लिए तेजी से प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अपमानजनक रिश्तों से बचने के साधन के रूप में अधिक तलाक हो जाते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां तलाक की दर बढ़ रही है, भारत में समग्र तलाक की दर कई पश्चिमी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा, तलाक को अभी भी भारतीय समाज के कुछ क्षेत्रों में एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है, और सामाजिक कलंक मौजूद है, खासकर अधिक रूढ़िवादी और पारंपरिक समुदायों में।

भारत में विवाहित जोड़ों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वैवाहिक कठिनाइयों से गुजर रहे व्यक्तियों के लिए विवाह पूर्व परामर्श, विवाह परामर्श और सहायता सेवाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना, संचार में सुधार करना और तलाक की घटनाओं को कम करना है।

समाज में परिवर्तन

परिवर्तन ने वैवाहिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक प्रोत्साहन कम बनाया। हाल के दिनों में, भारत की महिलाएं एक प्रमुख सांस्कृतिक बदलाव से गुजरी हैं। सामाजिक परिवर्तनों ने पुरुषों और महिलाओं पर विशेष रूप से 20वीं शताब्दी में औद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब महिलाओं ने कार्यस्थल में प्रवेश किया, एक बड़ा प्रभाव पैदा किया है। अर्थव्यवस्था में तेजी के जवाब में, महिलाएं अब अधिक शिक्षित, मिलनसार और आत्मनिर्भर हैं।

भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक और विवाह प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता कामुकता की सख्त निगरानी और महिलाओं के लिए विवाह के भीतर कामुकता का निषेध है। एक महिला जो विवाह पूर्व यौन संबंध में शामिल होती है, उसे जाति की शुद्धता को दूषित करने वाली माना जाता है। इसलिए परिवार और जाति परिषदों ने महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने की भूमिका ग्रहण कर ली है। यह विवाहों की स्थिरता पर एक और चुनौती है। जीवनसाथी के चयन का चलन अरेंज्ड टाइप से लव मैचिंग में बदल रहा है। इसके अलावा, पारंपरिक सीमाओं को पार करने की क्षमता की पेशकश करते हुए वैवाहिक वेबसाइटों के

माध्यम से मैचमेकिंग में प्रौद्योगिकी के उपयोग ने जीवनसाथी के चयन में पारंपरिक मूल्यों को फिर से स्थापित किया है। साथी चयन और श्सहयोगीश विवाहों में अधिक पसंद की ओर बदलाव जिसमें वैवाहिक शक्ति संबंध कम श्रेणीबद्ध है, संभावित रूप से विवाह स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। अरेंज मैरिज में परिवार द्वारा मजबूत वैवाहिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया जाएगा जो सुलह को बढ़ावा दे सकता है और वैवाहिक घावों को भरने में मदद कर सकता है। भागीदारों के बीच व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता तलाक का एक अन्य कारण है।

या तो पुरुष अहंकार के मुद्दों के कारण तलाक के लिए फाइल करता है जब वह अपनी पत्नी को पेशेवर रूप से उससे अधिक सफल देखता है। या एक पेशेवर रूप से सफल महिला तलाक के लिए फाइल करती है जब वह देखती है कि उसके पति की स्थिति उसके बराबर नहीं है। फिर भी तलाक के लिए अन्य संभावना विवाहेतर संबंध हैं जिसके परिणामस्वरूप तलाक होता है। दोनों के बीच अनुकूलता की कमी और सुस्त यौन जीवन भी तलाक के प्रमुख कारण हैं। आर्थिक समृद्धि और बढ़ती आय के साथ, भागीदारों और पेशेवर प्रतिस्पर्धा के बीच बढ़ते अहंकार के साथ, भारत में तलाक के मामलों की संख्या बढ़ रही है। आज अधिकांश युवा विवाहित जोड़ों ने विवाह को महत्व देना बंद कर दिया है और छोटे कारणों से उनका वैवाहिक जीवन बिखर जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अधिक स्थिर और संतुष्ट वैवाहिक जीवन जीते हैं। यूके, यूएस आदि जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत में तलाक की दर काफी कम है। अमेरिका में आश्चर्यजनक 50% है जबकि भारत में तलाक की दर 11% है। 1961 और 1991 के बीच ब्रिटेन में तलाक की दर छह गुना बढ़ गई। लेकिन 1991 से 2001 तक, भारत में तलाक की दर में वृद्धि देखी गई, खासकर शहरी क्षेत्रों में। दर 7.4% से बढ़कर 11% हो गई है। तलाक की दर की स्थिति को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में वर्तमान समाज में एक संतुष्ट विवाहित जीवन जी रहे हैं? एक संस्था के रूप में माना जाने वाला परिवार समाज का एक बुनियादी निर्माण खंड है। इसलिए डर यह है कि तलाक आधार को ही कमजोर कर देता है।

तलाकशुदा माता–पिता के बच्चे अधिक हद तक प्रभावित होते हैं जो बदले में अगली पीढो को प्रभावित करते हैं। वालेंस्टीन नोट करते हैं, ष्यह स्पष्ट है कि हमने मानव संस्कृति में पहले कभी नहीं देखे गए एक नए प्रकार के समाज का निर्माण किया है। चुपचाप और अनजाने में, हमने तलाक की संस्कृति बनाई है।ष शहर के बाहरी इलाके में एक भीड़ भरे कोर्टरूम में, एक बार अकल्पनीय वास्तविकता हैरू दर्जनों जोड़े – अमीर और गरीब, शिक्षित और बमुश्किल साक्षर – एक साथ रहने में साधारण अक्षमता के लिए घरेलू हिंसा जैसे विविध कारणों से तलाक चाहते हैं। महज एक दशक पहले, सामाजिक रूप से रूढ़िवादी भारत में तलाक एक गंदा शब्द था। सामाजिक अलगाव का डर, विस्तारित परिवारों के प्रति

कर्तव्य की भावना – जिन्होंने पहली बार शादी की व्यवस्था की – और वित्तीय निर्भरता ने जोड़ों पर एक साथ रहने के लिए लगभग असहनीय दबाव डाला। बीस लोगों के बीच डेटिंग लोकप्रिय हो रही है, लव मैच (अरेंज मैरिज के विपरीत) उन पारिवारिक घोटालों को नहीं भड़काते हैं जो उन्होंने एक बार किए थे और तलाक अब सीमा से बाहर नहीं है। 1980 के दशक में, नई दिल्ली में दो अदालतें थीं जो तलाक से निपटती थीं।

आज 16 हैं। एक नई भारतीय मैचमेकिंग वेबसाइट ैमबवदकींकप.बवउ, या दूसरी शादी, अब तलाकशुदा और विधुरों को लक्षित करती है। इस पर एक खोज ने हजारों तलाकशुदा लोगों को 25 से 35 आयु वर्ग में फेंक दिया। जैसे–जैसे आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण समाज ने एक नया आकार लेना शुरू किया, पारंपरिक भारतीय जीवन को नियंत्रित करने वाली कठोर सीमाओं को नए दृष्टिकोण के साथ–साथ जीवन शैली से बदलना शुरू हो गया। इसने विशेष रूप से तब गति दी जब महिलाओं ने रोजगार में प्रवेश करना शुरू कर दिया जिससे पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग भूमिकाओं की असंगति हो गई। इसके अलावा, ग्रामीण से मेट्रो जीवन में जनसांख्यिकीय संदर्भों में बदलाव, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदलाव के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत धारणा, जीवनसाथी का चयन आदि ने भारत में अस्थिर विवाहों में वृद्धि में योगदान दिया है। एक बेटे या बेटी के लिए सही घर ढूँढना बडो पारिवारिक प्रतिष्ठा का मामला है। एक विवाह को समाप्त करना अक्सर केवल एक जोड़े के अपने अलग रास्ते जाने के बारे में नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों के, कभी–कभी व्यवसाय या राजनीतिक संबंधों के साथ, खुद को अलग करने के बारे में होता है। एक तलाकशुदा बच्चे की शर्म भी माता–पिता के लिए अपने दूसरे बच्चों के लिए उपयुक्त मैच ढूंढना कठिन बना देती है।

भारत में तलाक के आधार

अधिकांश पश्चिमी देशों में, लगभग 16 अलग–अलग कारण हैं जिनके लिए तलाक दिए जाते हैं। भारत में अलग–अलग धर्मों के लिए अलग–अलग तलाक कानून हैं। भारत में लगभग सभी धर्मों के अपने–अपने तलाक कानून हैं जो आपस में प्रयोग किए जाते हैं। अंतर–जातीय या अंतर–धार्मिक विवाह के लिए अलग–अलग कानून हैं। हिंदू (सिख, जैन और बौद्ध सहित): हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम: मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 का विघटन, ईसाई: भारतीय तलाक अधिनियम, 1869, पारसी: पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, इंटर–कास्ट या इंटर –धर्म: विशेष विवाह अधिनियम।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में तलाक के बदलते रुझान का अध्ययन करने के लिए

2. भारतीय समाज में तलाक के बढ़ते मामलों पर अध्ययन करने के लिए

अनुसंधान विधि

वर्तमान अध्ययन में उत्तरदाताओं की आयु एक महत्वपूर्ण चर है। इस चर पर विश्लेषण करते समय, डेटा दिखाता है कि उत्तरदाताओं का विशाल बहुमत (70%) 30–39 वर्ष के आयु वर्ग के बीच आता है। पुरुषों में अधिकांश तलाक के मामले 35 वर्ष के बाद देखे गए, जबकि महिलाओं में अधिकांश तलाक के मामले 35 वर्ष से पहले देखे गए। शिक्षा तलाक से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण चर है। सामान्य धारणा के अनुरूप कि अधिक संख्या में तलाक महिलाओं की शैक्षिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है, यह बताया गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं ने वैवाहिक असंगति को समाप्त करने के लिए तलाक का सहारा लिया। इसलिए, तलाक में शामिल जोड़ों की शैक्षिक स्थिति की जांच की गई। अध्ययन में अधिकांश उत्तरदाता साक्षर हैं। उत्तरदाताओं में 4% पुरुष और 8% महिलाएँ स्नातकोत्तर हैं। स्नातक महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुना है। आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि महिला उत्तरदाता पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षित थीं। व्यवसाय और वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बीच बहुत संबंध है। व्यवसायों का अध्ययन आज व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व पर इतना अधिक जोर देता है कि वैवाहिक कलह में इसकी भूमिका पर ध्यान देना उचित होगा। उत्तरदाताओं के व्यवसाय से संबंधित जानकारी बताती है कि 42% निजी कर्मचारी थे। हालाँकि, जब हम पुरुष और महिला उत्तरदाताओं को अलग–अलग देखते हैं, तो पुरुषों की उच्चतम आवृत्ति यानी 40: स्व–नियोजित थे और 48: महिलाएँ निजी कर्मचारी थीं।

डेटा विश्लेषण

जहां तक वैवाहिक समायोजन और तलाक का संबंध है, निवास की प्रकृति एक महत्वपूर्ण पहलू है। अतः उत्तरदाताओं के निवास स्थान के बारे में पूछताछ की गयी। अध्ययन से पता चलता है कि 62% उत्तरदाता मूल रूप से ग्रामीण परिवार के हैं, जबकि 24% अर्ध–शहरी मूल के थे और शेष 14% मूल रूप से शहरी थे। वैवाहिक व्यवधान भी परिवार के प्रकार से संबंधित हैं, चाहे संयुक्त या एकल। वर्तमान अध्ययन का विशाल बहुमत 54% परमाणु परिवारों में रहता था। 44% संयुक्त परिवार और बाकी 2% विस्तारित परिवार से संबंधित थे। हालाँकि, जब हम पुरुष और महिला दोनों उत्तरदाताओं को अलग–अलग देखते हैं, तो बहुसंख्यक महिला उत्तरदाता एकल परिवारों से थीं और प्रमुख समूह 58% पुरुष उत्तरदाता संयुक्त परिवारों से थे। इससे पता चलता है कि एकल परिवारों में पली–बढ़ी महिलाओं के लिए संयुक्त परिवारों में समायोजन करना मुश्किल होता है और पुरुष जो संयुक्त परिवारों में समायोजित होते हैं, उन्हें ज्यादातर समय अपनी पत्नी के साथ रहने में कठिनाई होती है।

भारत में पति–पत्नी के मुक्त आवागमन की अनुमति नहीं है, विशेष रूप से अब भी बड़ों की उपस्थिति में। कई अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों के साथ जोड़ों की तुलना में बच्चों के बिना जोड़ों की तुलना में तलाक की संभावना कम होती है। निःसंतान दंपतियों में तलाक अधिक आम है। बच्चा पति–पत्नी के बीच जोड़ने वाले कारक के रूप में कार्य करता है। कई पति–पत्नी विशेष रूप से महिलाएं बच्चों की खातिर कठिनाइयों और समस्याओं को सहन करती हैं। बच्चों के अभाव में तनाव और दबाव में साथ रहने की प्रेरणा काफी कम हो जाती है। इस अध्ययन में 66ः उत्तरदाताओं के बच्चे नहीं थे, अन्य बातों के अलावा यह साबित करने के लिए जाता है कि संतानहीनता और तलाक का अंतर–संबंध है। दूसरे शब्दों में, संतानहीनता ने तलाक को आसान बना दिया। इसके अलावा अधिकांश मामलों में, वैवाहिक संबंधों पर तनाव विवाह के पहले वर्ष के भीतर ही शुरू हो जाता है, और प्राकृतिक प्रेम और स्नेह जल्द ही बिगड़ने लगता है। बेशक, नपुंसकता के कुछ मामले हैं और कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां दंपति काफी समय तक साथ रहने के बाद भी बच्चे पैदा नहीं कर सके। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि 34% उत्तरदाताओं के बच्चे थे।

आज शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिरता जैसे कारक लोगों को भविष्य के बारे में दोबारा सोचने का मौका देने से पहले तलाक के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इस अध्ययन में 58% मामले महिलाओं द्वारा शुरू किए गए थे। पुरुष और महिला उत्तरदाताओं में हम पुरुष उत्तरदाताओं की उच्चतम आवृत्ति में अलग–अलग देखते हैं, 54% ने कहा कि उन्होंने तलाक याचिका दायर करने की पहल की। हालांकि, महिला उत्तरदाताओं में सबसे अधिक बारंबारता 72% महिलाओं ने तलाक याचिका दायर करने की पहल की। इस अध्ययन में तलाक के लिए पहली बार कोर्ट जाने वाली महिलाओं को संख्या 42% पुरुषों की तुलना में 58% अधिक है। कुछ मामलों में पति–पत्नी ने मिलकर तलाक की अर्जी दाखिल की। 1976 से पहले संयुक्त रूप से आवेदन जमा नहीं किया जा सकता था। कुछ अन्य मामलों में, आपसी सहमति से तलाक दिया गया था। परिणाम से पता चलता है कि तलाक का प्रमुख कारण समझौता करने की अनिच्छा है। 77% उत्तरदाताओं ने ऐसा महसूस किया। दूसरा महत्व एक दूसरे के 54% उत्तरदाताओं से संतुष्ट नहीं था। इस पर 52% पति–पत्नी के खराब संचार, 48% पति–पत्नी के झगड़ालू स्वभाव, 38% भागीदारों के बीच अहंकार, तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप 36ः उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। एक दिलचस्प विशेषता से पता चलता है कि तलाक के आधार के रूप में वित्तीय कारण और शहरी–ग्रामीण अंतर। केवल 16% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि वित्त की समस्याएँ तलाक का कारण बन सकती हैं।

विवाह के न्यायिक विघटन में जिस आधार पर अदालत तलाक की डिक्री को मंजूरी देती है, वह एक महत्वपूर्ण कारक है। इस अध्ययन में तलाक के 30% मामले आपसी सहमति से मंजूर किए गए। अन्य 70% मामलों में तलाक के लिए कोई एक आधार था जो विवाह अधिनियमों में निर्दिष्ट किया गया था। 16% व्यभिचार का था, 14% क्रूरता का था, 10% परित्याग का था, 6% नपुंसकता का था, 6% वैवाहिक अधिकारों की बहाली नहीं थी, 2% नपुंसकता और धर्म परिवर्तन और 16% अन्य कारण थे। जब हम 36% पुरुष उत्तरदाताओं में पुरुष और महिला मामलों को अलग–अलग लेते हैं, तो डिक्री आपसी सहमति से 20% और व्यभिचार 14% के बाद दी गई थी। हालाँकि, महिला उच्चतम आवृत्ति में 24% मामलों में उनके पति या पत्नी की ओर से क्रूरता पर डिक्री दी गई थी। फोंसेका ने बताया है कि "विशिष्ट प्रकार का संयुक्त परिवार या कुछ मामलों में विस्तारित परिवार संघर्ष का कारण रहा है ओर इसने कई आधुनिक जोड़ों में असंतोष पैदा किया है"। वर्तमान अध्ययन के 54% उत्तरदाता एकल परिवारों में रहते थे। 44% संयुक्त परिवारों की श्रेणी में थे और बाकी 2% विस्तारित परिवार से संबंधित थे।

अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह (88%) को उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और समाज से सकारात्मक स्वीकृति मिली थी। अध्ययन में कहा गया है कि सबसे ज्यादा तलाकशुदा महिलाओं को अपने माता–पिता और दोस्तों से पूरी सहानुभूति थी। मजबूत सामाजिक बंधन के कारण, तलाकशुदा को भारत में माता–पिता और अन्य लोगों से अच्छा इलाज मिलता है। तलाक एक व्यक्तिगत त्रासदी है। पीड़ा और पीड़ा की गंभीरता और निहितार्थ उस उपचार पर निर्भर करता है जो वह समाज से प्राप्त करता/करती है। निजी जीवन में इतनी बड़ी हार और असफलता मिलने के बाद कई लोग दूसरे लोगों से एकदम से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक लोगों से बचते हैं और फिर धीरे–धीरे वापस आने की कोशिश करते हैं। तलाकशुदाओं के प्रति संबंधित समुदायों की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समुदाय ही है जो समुदाय में व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करता है।

निष्कर्ष

भारतीय परिवार के लिए उभरे नए तनाव और चुनौतियों के साथ, बाद वाला एक नए तरह के संक्रमण से गुजर रहा है। यह पारंपरिक और पश्चिमी मॉडलों के बीच डगमगाता रहा है। तेजी से बदलते सामाजिक और पारिवारिक परिवेश ने विशेष रूप से युवा लोगों के लिए नइ चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। सामंजस्य में गिरावट उन मूल्यों से भी जुड़ी हो सकती है जो परिवार की भलाई पर व्यक्तिवादी, भौतिकवादी और स्व–उन्मुख लक्ष्यों पर जोर देते हैं। भारतीय समाज में न केवल तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि तलाक के अंतर्निहित

कारण भल ही पूरी तरह से न बदल रहे हों, एक नया आयाम ग्रहण कर रहे हैं या एक नई गति प्राप्त कर रहे हैं। समय की प्रगति, शिक्षा के प्रसार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अभियानों के साथ, तलाक कई महिलाओं के लिए वैवाहिक बंधनों से मुक्त होने का एक तरीका बन गया है। अपनी अनुकूलता के स्तर की बराबरी करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले जोड़े अब अपने जीवन को नए सिरे से नवीनीकृत करने के लिए तलाक के लिए अर्जी दे रहे हैं। एक आधुनिक समाज में, विवाह का विघटन इस विचार से उत्पन्न होता है कि विवाह को व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि से रखने की अपेक्षा एक स्वतंत्र जीवन जीना बेहतर है। एक दशक पहले, भारत में तलाक को सबसे गंदी सामाजिक घटनाओं में से एक माना जाता था, अब इसे मूर्खतापूर्ण कारणों से आराम से स्वीकार कर लिया गया है। कुछ लोगों ने इसे सामाजिक और नैतिक व्यवधान के संकेत के रूप मे देखा है, जिसमें परिवार की संस्था और स्वयं समाज की नींव को चकनाचूर करने की क्षमता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. एरिप्लाकल, आर., और जॉर्ज, टी.एस. (2014)। नवविवाहित भारतीय जोड़ों में वैवाहिक संकट और तलाक के लिए मनोवैज्ञानिक घटक। तलाक और पुनर्विवाह का जर्नल, 56, 1–24। डीओआई:10.1080/10502556.2014.972210

2. बर्ग, एम. जे., क्रेमेलबर्ग, डी., द्विवेदी, पी., वर्मा, एस., शेंसुल, जे. जे., गुप्ता, के., ३ सिंह, एस. के. (2010)। ग्रेटर मुंबई के तीन कम आय वाले क्षेत्रों में विवाहित महिलाओं पर पति की शराब की खपत का प्रभाव। एड्स व्यवहार, 14(1), 126–135। डीओआई:10.1007/एस10461–010–9735–7

3. बिस्वास, एस। (2015, 5 अक्टूबर)। तलाक हमें आधुनिक भारत के बारे में क्या बताता है। नई दिल्लीरू इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स।

4. ब्रेनन, के.ए., और शेवर, पीआर (1993)। अटैचमेंट स्टाइल और माता–पिता का तलाक। तलाक और पुनर्विवाह का जर्नल, 21, 161–175। डीओआई:10.1300/श्र087अ21द01–09

5. चड्ढा, एन.के. (2012)। इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप: एन इंडियन पर्सपेक्टिव। नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय।

6. देसाई, एम., और भुजबल, एस. (2004)। प्रतिबिम्ब। महाराष्ट्र परिवार परामर्शदाता पत्रिका। एस. श्रीराम और सी. दुग्गल (संपा.) में द फैमिली कोर्ट्स एक्ट इन इंडिया:

पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम मैरिज काउंसलर। महाराष्ट्र, मुंबई: टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान। (2014)।

7. डिप्रेट, टीए, और मैकमैनस, पीए (2000)। पारिवारिक परिवर्तन, रोजगार परिवर्तन और कल्याणकारी राज्य: संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में घरेलू आय की गतिशीलता। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 65(3), 343–370। डीओई:10.2307/2657461

8. दत्त, ए। (2015, 4 जनवरी)। तलाक लेने वाले युवा भारतीय जोड़ों की संख्या कैसे और क्यों तेजी से बढ़ी है। हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।

9. फॉसेट, जे., कैरथर्स, जे., और नॉर्थ, पी. (2008)। चेशायर एंड नॉर्थ्स फॉसेट: प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, 3 (14वां संस्करण)। लंदनरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

10. गहलर, एम। (2006)। तलाक देना थोड़ा मरना हैरू स्वीडिश महिलाओं और पुरुषों के बीच वैवाहिक व्यवधान और मनोवैज्ञानिक संकट का एक अनुदैर्ध्य अध्ययन। द फैमिली जर्नल, 14, 372–382। डीओई:10.1177/1066480706290145

11. जुहो हरकोनेन (2014)। तलाक: रुझान, पैटर्न, कारण, परिणाम। विली ब्लैकवेल, 303–322।

12. कांत मणि शर्मा (2007)। वैवाहिक कानून, कमल प्रकाशक, नई दिल्ली, पीपी। 95 – 212।

13. मार्टिन, एस.पी. (2006)। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला शिक्षा द्वारा वैवाहिक विघटन में रुझान। जनसांख्यिकी अनुसंधान 15रू537–560।

14. गुरुमुख राम मदन (2003). इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स, एलाइड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, मुंबई, पीपी। 379–388।